



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102020-222322
CG-MH-E-09102020-222322

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 425]
No. 425]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 8, 2020/आश्विन 16, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2020/ASVINA 16, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुम्बई, 8 अक्टूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-
 - I. विनियम 54 में,-

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) सूचीबद्ध एंटीटी, अपनी सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्क्यूरिटीज़) के संबंध में, शत-प्रतिशत असेट कवर या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेन्डम) और/या डिबेंचर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की शर्तों आदि के अनुसार असेट कवर बनाए रखेगी, जो जारी (इश्यू) की गई असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में हर समय मूलधन की रकम चुकाने के लिए पर्याप्त हो।”

ख. उप-विनियम (3) का लोप हो जाएगा।

II. विनियम 56 में,-

क. उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, मौजूदा उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(iv) निर्गम (इश्यू) की सभी शर्तें आदि (प्रसंविदाएँ / कोविनेन्ट) [जिनमें शामिल हैं – साइड लैटर, तत्काल भुगतान करने संबंधी खंड, आदि]”

ख. उप-विनियम (1) में, मौजूदा खंड (घ) और परंतुक, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्क्यूरिटीज़) की बाबत, शत-प्रतिशत असेट कवर या प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) / सूचना ज्ञापन (इन्फॉर्मेशन मैमोरेन्डम) और/या डिबेंचर न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) की शर्तों आदि के अनुसार असेट कवर बनाए रखे जाने के संबंध में और सभी शर्तों आदि (प्रसंविदाओं / कोविनेन्ट्स) के पालन के संबंध में कानूनी लेखापरीक्षक (स्टैट्यूटरी ऑडिटर) द्वारा जारी किया गया छमाही प्रमाणपत्र, छमाही वित्तीय परिणामों के साथ:

परंतु यह कि जहाँ बॉण्ड सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत (सिक्क्योर्ड) हों, वहाँ छमाही प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने संबंधी अपेक्षा लागू नहीं है।”

III. अनुसूची-III में,-

क. भाग-क में, खंड-क में, मौजूदा उप-खंड 16 के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“17. न्यायालयिक लेखापरीक्षा (फॉरेंसिक ऑडिट) की शुरुआत: यदि न्यायालयिक लेखापरीक्षा (फॉरेंसिक ऑडिट) [फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए] शुरू की जाती है, तो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को निम्नलिखित प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) किए जाएंगे:

क) यह तथ्य कि न्यायालयिक लेखापरीक्षा (फॉरेंसिक ऑडिट) शुरू की गई है, और साथ ही लेखापरीक्षा (ऑडिट) शुरू करने वाली एंटीटी के नाम तथा उसके कारणों (यदि उपलब्ध हों) का भी उल्लेख किया जाए;

ख) अंतिम न्यायालयिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट [उस न्यायालयिक लेखापरीक्षा को छोड़कर जो विनियामक (रेग्युलेटरी) / प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) एजेंसियों द्वारा शुरू की गई हो], जब ऐसी रिपोर्ट सूचीबद्ध एंटिटी को प्राप्त हो जाए, और साथ ही प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./286/2020-21]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और

- भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा
- छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा
- ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा
- झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा
- ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा
- ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा
- ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा
- ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा
- ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा
- ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा
- थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा
- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th October, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/33.— In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-

I. In regulation 54, -

a. sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely, —

“(1) In respect of its listed non-convertible debt securities, the listed entity shall maintain hundred per cent. asset cover or asset cover as per the terms of offer document/ Information Memorandum and/or Debenture Trust Deed, sufficient to discharge the principal amount at all times for the non-convertible debt securities issued.”

b. sub-regulation 3 shall be omitted.

II. In regulation 56,-

- a. in sub-regulation (1), in clause (c), the following new sub-clause shall be inserted after the existing sub-clause (iii), namely, -

“(iv) All covenants of the issue (including side letters, accelerated payment clause, etc.)”

- b. in sub-regulation (1), the existing clause (d) along with the proviso, shall be substituted with the following, namely, -

“(d) a half-yearly certificate regarding maintenance of hundred percent asset cover or asset cover as per the terms of offer document/ Information Memorandum and/or Debenture Trust Deed, including compliance with all the covenants, in respect of listed non-convertible debt securities, by the statutory auditor, along with the half-yearly financial results:

Provided that the submission of half yearly certificate is not applicable where bonds are secured by a Government guarantee.”

III. In Schedule III,-

- a. in Part A, under the Clause A, after the existing sub-clause 16, the following new sub-clause shall be inserted, namely,-

“17. Initiation of Forensic audit: In case of initiation of forensic audit, (by whatever name called), the following disclosures shall be made to the stock exchanges by listed entities:

a) The fact of initiation of forensic audit along-with name of entity initiating the audit and reasons for the same, if available;

b) Final forensic audit report (other than for forensic audit initiated by regulatory / enforcement agencies) on receipt by the listed entity along with comments of the management, if any.”

AJAY TYAGI, Chairman

[Advt.-III/4/Exty./286/2020-21]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

- f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
- h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
- i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
- j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
- k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
- l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 05, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/25.